दिनांक 09.10.2021
प्रेस विज्ञप्ति 09/2021

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद बागपत/थाना खेकडा

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 09.10.2021 को थाना खेकडा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रटौल नहर पटरी के पास बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त अरमान घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद बागपत व गाजियाबाद के विभिन्न थानो पर डकैती, हत्या का प्रयास, अपहरण, चोरी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट व गैंगेस्टर एक्ट आदि के 14 अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली बागपत पर पंजीकृत मु0अ0सं0 710/2021 धारा 342/395/414 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अरमान निवासी कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस

2–01 मोटर साइकिल।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना सुशान्त गोल्फ सिटी

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी का 21 लाख 09 हजार रूपये बरामद**

दिनांक 09.10.2021 को थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर वेस्ट प्राइज के पास से अभियुक्त रिंकू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी का 21 लाख 09 हजार रूपये बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि दिनॉकः 07.10.2021 की रात्रि में ओमेक्स रेजीडेन्सी में चोरी की घटना घटित हुई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त की गिरफ्तारी/बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद नगदी उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रिंकू निवासी मीठनपुर थाना गुन्नौर जनपद सम्भल।

बरामदगी

1– चोरी का 21 लाख 09 हजार रूपये।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना कोतवाली नगर

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 06 लाख रूपये कीमत की चोरी के 40 मोबाइल फोन भिन्न–भिन्न कम्पनी के, 02 कैमरा, कैमरा लेंस**
- **35 हजार रूपये नगद**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 09.10.2021 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 05 अभियुक्तों 1–सावेज 2–अमन 3–अमन उर्फ बाबूशेख उर्फ साहिल 4–आनन्द 5–अभियुक्ता को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 06 लाख रूपये कीमत की चोरी के 40 मोबाइल फोन भिन्न–भिन्न कम्पनियों के , 02 कैमरा, कैमरा लेंस, 35 हजार रूपये नगद, 02 अवैध तमंचा 04 जीवित कारतूस आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि दिनॉकः 01/02.10.2021 को थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अन्तर्गत धारा 457/380 भादवि के अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। अभियुक्तों से बरामद मोबाइल फोन, कैमरा आदि उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सावेज निवासी मोहल्ला मोतीमहल थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर।

2–अमन निवासी ब्लाक सी गली नूरे इलाही थाना भजनपुरा , दिल्ली।

3–अमन उर्फ बाबू शेख उर्फ साहिल निवासी पॉचवा पुस्ता गली थाना भजनपुरा दिल्ली, मूल निवासी ग्राम लोहापुर थाना नौलाटी जनपद वीरभूमि, पश्चिम बंगाल।

4—आनन्द निवासी ग्राम पल्लेगांव दूसरा पुस्ता थाना उस्मानपुर दिल्ली, मूलनिवासी ग्राम बहादीरसर थाना नूराडोही जनपद वीरभूमि, पश्चिम बंगाल।

5—अभियुक्ता।

<u>बरामदगी</u>

1— लगभग 06 लाख रूपये कीमत की चोरी के 40 मोबाइल फोन भिन्न—भिन्न कम्पनियों के , 02 कैमरा।

2— 35 हजार रूपये नगद।

3— 02 अवैध तमंचा 04 जीवित कारतूस आदि।

<u>जनपद मेरठ/थाना परीक्षितगढ़</u>

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 08 टैक्ट्रर**
- **चोरी की 01 ट्राली बरामद**

दिनांक 08/09.10.2021 को थाना परीक्षितगढ़ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना परीक्षितगढ़ क्षेत्र से 04 अभियुक्तों 1—शहजाद 2—यासीन 3—असलम 4—खालिद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 08 ट्रैक्टर, चोरी की 01 ट्राली बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा जनपद व जनपद के आस—पास स्थानों से ट्रैक्टर चोरी करके फर्जी कागजात तैयारकर सस्ते दामों पर बेच देते है।

इस सम्बन्ध में थाना परीक्षितगढ़ पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—शहजाद निवासी चरस मोहल्ला धौलाना अड्डा थाना गुलावटी जनपद बुलन्दशहर।

2—यासीन निवासी कलौंदा थाना जारचा, गौतमबुद्धनगर।

3–असलम निवासी रछैती थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़।

4–खालिद निवासी रछैती थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी के 08 ट्रैक्टर।

2– चोरी की 01 ट्राली।

<u>जनपद सहारनपुर/थाना बेहट</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 11 दो पहिया वाहन**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 08.10.2021 को थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर शाहबुद्दीन तिराहा के पास पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्तों 1–कुर्बान 2–फईम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 11 दो पहिया वाहन, 01 अवैध तमंचा 315बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त कुर्बान के विरूद्ध जनपद सहारनपुर के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, चोरी, धोखाधड़ी, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग व अभियुक्त फईम के विरूद्ध जनपद सहारनपुर के थाना बेहट पर हत्या का प्रयास, चोरी, धोखाधड़ी व आर्म्स एक्ट के 04 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली शहर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–कुर्बान निवासी नौगवा थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।

2–फईम निवासी मोहल्ला मो. मैदानयान थाना ज्वालापुर जनपद हरिद्वार हाल निवासी नगला झण्डा थाना बेहट जनपद सहारनपुर।

बरामदगी

1—चोरी के 11 दो पहिया वाहन।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस आदि।

जनपद शाहजहॉपुर/थाना मिर्जापुर

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 01 करोड़ 20 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की 01 किलो 200 ग्राम अवैध अफीम बरामद**

दिनांक 09.10.2021 को थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम कठा पेट्रोल पम्प के पास से 02 अभियुक्तों 1—सरवन 2—दिलासा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 01 करोड़ 20 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की 01 किलो 200 ग्राम अवैध फाइन क्वालिटी की अफीम बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना मिर्जापुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सरवन निवासी ग्राम इस्लामगंज थाना अल्लाहगंज जनपद शाहजहॉपुर।

2—दिलासा निवासी ग्राम इस्लामगंज थाना अल्लाहगंज जनपद शाहजहॉपुर।

बरामदगी

1—लगभग 01 करोड़ 20 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की 01 किलो 200 ग्राम अवैध अफीम।

जनपद प्रयागराज/थाना औद्योगिक क्षेत्र

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **48 किलोग्राम अवैध गांजा**
- **1150 रूपये नगद**
- **घटना में प्रयुक्त 01 होण्डा सिटी कार बरामद**

दिनांक 09.10.2021 को थाना औद्योगिक क्षेत्र व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम लवायन कला कुरिया मोड के पास से 02 अभियुक्तों 1–संदीप 2–सुबेदार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 48 किलोग्राम अवैध गांजा, 1150/–रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त 01 होण्डा सिटी कार बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना औद्योगिक क्षेत्र पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–संदीप निवासी रामपुरा भगनपुर थाना करछना जनपद प्रयागराज।

2–सुबेदार निवासी रामपुरा भगनपुर थाना करछना जनपद प्रयागराज।

बरामदगी

1–लगभग 48 किलोग्राम अवैध गांजा।
2– 1150/–रूपये नगद।
3– घटना में प्रयुक्त 01 होण्डा सिटी कार।

जनपद खीरी/थाना कोतवाली सदर

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा अभियुक्त गिरफ्तार**
- **12 अवैध तमंचा**
- **भारी मात्रा में अवैध तमंचा बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 09.10.2021 को थाना कोतवाली सदर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम रामापुर रौली के पास स्थित जंगल से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा

अभियुक्त किशोरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 12 अवैध तमंचा, 02 नाल, भारी मात्रा में अवैध तमंचा बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली सदर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–किशोरी निवासी ग्राम खगियापुर थाना धौरहरा जनपद लखीमपुरखीरी।

बरामदगी

1–12 अवैध तमंचा।

2– 02 नाल।

3–भारी मात्रा में अवैध तमंचा बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि

जनपद सीतापुर/थाना रेउसा

- **लूट/चोरी की घटना का अनावरण**
- **06 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट/चोरी के सोने/चॉदी के आभूषण**
- **13 हजार 100 रूपये नगद**
- **लूट/चोरी 10 भिन्न–भिन्न कम्पनी के मोबाइल फोन**
- **01 अवैध तमंचा, 02 जीवित कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 09.10.2021 को थाना रेउसा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 06 अभियुक्तों 1–अजय उर्फ छोटू 2–अनुज उर्फ लाला 3–आसिफ अली 4–पंकज कुमार 5–प्रदीप कुमार 6–लावारिस उर्फ धीरज को गिरफ्तार कर लूट/चोरी की घटना का

अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट/चोरी के सोने/चॉदी के आभूषण, 10 भिन्न–भिन्न कम्पनी के मोबाइल फोन, 13 हजार 100 रूपये नगद व 01 अवैध तमंचा, 02 जीवित कारतूस, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि उल्लेखनीय है कि थाना रेउसा व रामपुरकला क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट/चोरी की घटनाए कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना रेउसा व रामपुरकला पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। अभियुक्तों से बरामद सोने/चॉदी के जेवरात, मोबाइल फोन, रूपये उक्त लूट/चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना रेउसा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अजय उर्फ छोटू निवासी वेदौरा थाना रेउसा जनपद सीतापुर।

2–अनुज उर्फ लाला निवासी वेदौरा थाना रेउसा जनपद सीतापुर।

3–आसिफ अली निवासी ग्राम शिवपुरी थाना रेउसा जनपदसीतापुर।

4–पंकज कुमार निवासी ग्राम सेहाला थाना रेउसा जनपद सीतापुर।

5–प्रदीप कुमार निवासी ग्राम पतरासा थाना रेउसा जनपद सीतापुर।

6–लावारिस उर्फ धीरज निवासी वेदौरा थाना रेउसा जनपद सीतापुर।

बरामदगी

1–लूट/चोरी के सोने/चॉदी के आभूषण।

2–लूट/चोरी के 10 भिन्न–भिन्न कम्पनी के मोबाइल फोन।

3–13 हजार 100 रूपये नगद।

4–01 अवैध तमंचा, 02 जीवित कारतूस।

5– 01 मोटर साइकिल।

एसटीएफः दिनांक 29—08—2021 को जनपद बलसाड़ (गुजरात) के थाना क्षेत्र नाला पोण्डा में हुई निर्मम हत्या में शामिल मुख्य अभियुक्त इन्द्रजीत गौतम गिरफ्तार।

आज दिनांक 09—10—2021 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 व क्राइम ब्रान्च नौसारी (गुजरात) के संयुक्त टीम को थाना नाला पोण्डा, जनपद—वलसाड़ (गुजरात) क्षेत्र में दिनांक 29—08—2021 को घटित हत्या की घटना में शामिल मुख्य अभियुक्त इन्द्रजीत गौतम को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः—

इन्द्रजीत गौतम पुत्र स्व0 लालमणि गौतम, नि0 चेहरा, थाना—जिगना, जनपद मीरजापुर।

बरामदगीः—

01 अदद आधार कार्ड

गिरफ्तारी का स्थान/समयः—

वाराणसी कैण्ट रेलवे स्टेशन के पास दिनांक 09—10—2021 समय 10.30 बजे पूर्वाह्न।

दिनांक 29.08.2021 को जनपद वलसाड़ (गुजरात) के थाना—नाला पोण्डा, के मुहल्ला मोटा पोण्डा में इन्द्रजीत गौतम अपनी पत्नी की निर्मम हत्या कर वहॉ से दूर गुजरात के ही जनपद नौसारी के थाना चिकली क्षेत्र में शव को फेंक कर भाग गया। इस सम्बन्ध में थाना चिकली पर मु0अ0सं0 11822003211520/2021 धारा 302/114 आई0पी0सी0 व 135 जी0पी0 एक्ट पंजीकृत हुआ, जिसमें अभियुक्त इन्द्रजीत फरार चल रहा था।

नौसारी पुलिस के क्राइम ब्रान्च को अभियुक्त इन्द्रजीत जनपद के वाराणसी में होने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर नौसारी क्राइम ब्रान्च द्वारा उक्त सूचना को एसटीएफ, उ0प्र0 से साझा करते हुए आवश्यक सहयोग मांगा गया था। इस सम्बन्ध में उ0प्र0 एसटीएफ के वाराणसी इकाई के उप निरीक्षक आलोक सिंह के नेतृत्व में एक टीम नौसारी क्राइम ब्रान्च की टीम को साथ लेकर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही कर रही थी। अभिसूचना संकलन के दौरान विश्वस्त सूत्र से प्राप्त सूचना के आधार पर आज दिनांक 09.10.2021 को उक्त अभियुक्त इन्द्रजीत गौतम को वाराणसी कैण्ट रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

पूछताछ के दौरान अभियुक्त इन्द्रजीत गौतम ने बताया कि वह जनपद वलसाड़ (गुजरात) में एक कॅलर बनाने वाली कम्पनी में काम करता था तथा वह अपनी पत्नी व 04 पुत्रियों के साथ थाना नाला पोण्डा क्षेत्रान्तर्गत मोटा पोण्डा में रहता था, उसे इस बात का शक था, कि उसकी पत्नी का सम्बन्ध किसी स्थानीय व्यक्ति से है। इसी शंका के कारण उसने दिनांक 29—08—2021 को अपनी पत्नी की धारदार हथियार से निमर्म हत्या कर एक प्लास्टिक के ड्रम में छुपा दिया था। दिनांक 01—09—2021 को अपने स्थानीय साथी राकेश भाई मंगू भाई पटेल एवं बल्लभ भाई मनू भाई माढ़ा की मदद से जनपद नौसारी के थाना चिकली क्षेत्र में शव फेक दिया था। इसके बाद इन्द्रजीत गौतम अपने गॉव आकर परिजनों से झूठ बोल दिया कि उसकी पत्नी किसी के साथ कहीं चली गयी और तभी से लुक—छिप कर रह रहा था।

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्त को गुजरात पुलिस द्वारा थाना कैण्ट वाराणसी में दाखिल कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

एसटीएफः जनपद चित्रकूट के थाना कर्वी का कुख्यात गैंगस्टर एवं रू० 25000/- का पुरूस्कार घोषित अपराधी राम विलास गिरफ्तार

दिनांक 08—10—2021 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को जनपद चित्रकूट के थाना कर्वी का कुख्यात गैंगस्टर एवं रू0 25,000/ का पुरस्कार घोषित अपराधी राम विलास पुत्र प्रहलाद को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :

राम विलास पुत्र प्रहलाद नि0 रमगढ़वा दूल्हापुर, थाना धानेपुर, जनपद गोण्डा।

बरामदगी :

1— रू0 380/—नगद

गिरफ्तारी का दिनांक/समय व स्थान -

दिनांक—08—10—2021, समय—23:50 बजे, स्थान—रेलवे स्टेशन चित्रकूट धाम कर्वी के पास

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 द्वारा कुख्यात अपराधियो, माफियाओ, वांछित एवं पुरूस्कार घोषित अपराधियो के विरूद्ध प्रचलित अभियान के क्रम मे विभिन्न इकाईयों/टीमों को इस सम्बन्ध में गहनता से अभिसूचना संकलित कर विधिक कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये थे। जिसके क्रम में पुलिस उपाधीक्षक डा0 राकेश कुमार मिश्र के पर्यवेक्षण में उ0नि घनश्याम यादव के नेतृत्व मे एक टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के क्रम में ज्ञात हुआ कि जनपद चित्रकूट के थाना कर्वी का कुख्यात गैंगस्टर व रू0 25,000/— का पुरस्कार घोषित अपराधी राम विलास जिस पर मु0अ0सं0 867/2019 धारा 380, 411 भादवि, मु0अ0सं0 929/2019 धारा 401, 420, 467, 468, 471 भादवि व मु0अ0सं0 348/2020 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट (इसी अभियोग मे पुरस्कार घोषित है) पंजीकृत है, जो अपने चाचा से मिलने जिला कारागार चित्रकूट जा रहा है यदि शीघ्रता की जाये तो पकड़ा जा सकता है। सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुये एस0टी0एफ0 की उपरोक्त टीम बताये गये स्थान पर पहुचकर मुखबिर द्वारा तस्दीक किये जाने पर तत्काल प्रभावी कार्यवाही करते हुए घेराबंदी कर कुशल सूझबूझ का परिचय देते हुए अभियुक्त राम विलास को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

पूछताछ के क्रम में अभियुक्त राम विलास द्वारा बताया गया कि वह अपने चाचा व अपने गांव के अन्य साथियों के साथ मिलकर गैंग बनाकर भारत के तीर्थ स्थलो पर चोरी, लूट—पाट, जानवर लदे वाहन लूटने तथा चित्रकूट धाम मे दर्शन करने आये यात्रियों/टूरिस्टों के साथ भी लूट—पाट किया करते थे, जिसके सम्बन्ध मे मुझ पर तथा मेरे अन्य साथियों के विरूद्ध वर्ष 2019 मे थाना कर्वी पर अभियोग भी पंजीकृत हो चुके है। आज वह जिला कारागार चित्रकूटधाम मे निरूद्ध अपने चाचा फौजदार (जो कि उपरोक्त मुकदमे मे गिरफ्तार किया गया था) से मिलने जा रहा था कि आप लोगो द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त को थाना कर्वी, जनपद चित्रकूटधाम मे पंजीकृत उपरोक्त अभियोग मे दाखिल कर दिया गया है। अग्रेतर विधिक कार्यवाही थाना स्थानीय द्वारा की जा रही है।

————